

Full Title of the Project:-RURAL WATER SUPPLY SCHEME VILLAGE SONKHARI

File No.:- FP/RJ/WATER/15016/2015

Date of Proposal:-

CHECK LIST SERIAL NUMBER: 16
SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the Forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from APCCF & Nodal Officer, FCA, Rajasthan, Jaipur for diversion (under FCA-1980) of 0.05 ha. of forest land for non forestry purpose. The subject envisages the use of forest land for RURAL WATER SUPPLY SCHEME VILLAGE SONKHARI.

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 17.01.2018

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is UNCLASSIFIED forest (UF) area of forest block Sonkhari range Laxmangarh a forest measuring Total 0.05 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

There is no rare/ endangered/ unique species of flora and fauna found in the area.

There is no protected archaeological/ heritage site/ defence establishment or any other important monument is located in the area.

(a) *The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.*

(b) **It has been found that the user agency has violated the Forest(Conservation) Act, 1980 provisions. A detailed report as per para 1.9 of Chapter 1, Part C of Hand book of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached).**

(Note: Whichever of the above is applicable should be shown in bold letters)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

As per enclose annexures; it is evident that initially User Agency has not followed the due procedure of FCA and has been restricted to work further for it. Keeping the public welfare value of this project; if competent higher authorities allow and rectify the proposed; undersigned has no objection and recommends the project positively in lager public interest.

I recommend for acceptance the proposal in public interest.

Place :Alwar

Date:

Name **Dr.Shalabh Kumar**
Designation **Dy. CF, Alwar**

Office Seal

(डॉ० शलभ कुमार)
उप वन संरक्षक
अलवर (राज०)

2x 366
25-6-15

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

ज्योतिराव फूले सर्किल, नया बास अलवर, 301001 (राज0)

क्रमांक: एफ () / वी. आई.पी. / 2015-16 / उवसं / 49 43
निमित्त,

दिनांक : 9/6/15

क्षेत्रीय वन अधिकारी,

लक्ष्मणगढ़

विषय:- जलदाय विभाग के द्वारा वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से पानी की टंकी का निर्माण रुकवाने के बावत् में।

सन्दर्भ:- मुख्यमंत्री कार्यालय विशेषाधिकारी से प्राप्त शिकायत उप वन संरक्षक (वन सुरक्षा) राजस्थान जयपुर का पत्रांक 188 दिनांक 29/05/15 से प्राप्त प्रकरण के अनुसरण में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके वन क्षेत्र ग्राम सौखरी, कठूकर में जलदाय विभाग द्वारा पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है जो कि वनक्षेत्र में पहाड़ एवं पेड़ों को काट कर किया जा रहा है। जिसकी इस कार्यालय द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा इजाजत नहीं दी गयी है। उक्त निर्माण के विरुद्ध ग्रामवासी सौखरी तह0 कठूमर द्वारा माननीय वनमंत्री महोदय को शिकायत की गयी है।

आप तत्काल मौके पहुँचकर उक्त निर्माण कार्य को व्यक्तिशः मौका निरीक्षण कर वनक्षेत्र में कार्य होना पाया जाने पर तत्काल कार्य को रुकवाए एवं आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

भवदीय,

(पी0 डी0 गुप्ता)

उप वन संरक्षक

अलवर

काशीनगर क्षेत्रीय वन अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (राजगढ़)
दिनांक: - V.I.P. / 505 दिनांक: - 23-6-15

विषय: - वनपाल गाँव
में जंगल

विषय: - लक्ष्मणगढ़ विभाग के द्वारा वन क्षेत्र पर
अधिकृत रूप से पानी की रेंवी का निर्माण
करवाने का पत्र

प्रसंग: - उप वन विभाग के अलवर को पत्रांक 4343
दिनांक 9-6-15 के आधार पर।

उपरोक्त विषयवस्तु में प्राथमिक पत्र के संदर्भ में
लौकिकी मुख्यालय क्षेत्रीय विशेष अधिकारी क्षेत्रीय शिक्षा पत्र उप
वन विभाग (वन विभाग) 210 अलवर को पत्रांक 198 दिनांक
29-5-15 पर प्रकाशित हुआ है। प्रकाश में वन क्षेत्र ग्राम
लौकिकी 240 अलवर में लक्ष्मणगढ़ द्वारा पानी की रेंवी का
निर्माण किया जा रहा है जो कि वन क्षेत्र में पहाड़ एवं पीड़ों के
कारण किया जा रहा है। जिसकी अनेक क्षेत्रीय अलवर
राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रजापत गरी से गठित है। अल
अप लक्ष्मणगढ़ के पा पदुनकर अलवर क्षेत्र की क्षेत्र
निर्माण कर वन क्षेत्र में कार्य होता है। अतः वन
क्षेत्र को लक्ष्मणगढ़ एवं आवश्यक कार्यवाही कर अधिकृत अधिकारी
को आवश्यक कार्य। अतः अनेक क्षेत्रीय उप वन विभाग
अलवर द्वारा बार-बार निर्देशित किया जा रहा है।

राजगढ़

र/म

(राजगढ़ मीठा)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राजगढ़

कार्यलय वनपाले माका प्रेषण

दि. 02. 7. 15

समाप्त J.P.T

निमित्त :- श्रीमान् क्षेत्रीय वन अधिकारी

लक्ष्मणगढ

RR 402
2-7-15

विषय :- गात्र सौ कमी के इन्दि निर्माण कार्य बन्द करवा के
माका पंचनामा भेजेके बाबत

महोदय

उपरोक्त विषय अन्तगत निवेदन देवी गाम सोरवरी जिवासिये।
ने कि कावत की की की गाम सोरवरी के इन्दि निर्माण कार्य हो
रहा है मोके पर पहुचकर निर्माण कार्य बन्द करवा कर माका
पंचनामा प्रेषण कर श्रीमान् जी की सेवा मे धन्य है।

RUC

मा.
रु.
2-7-15

अवेदिप

चन्द्रपाल

सा. वनपाल

मैथला

आज दि. 14. 6. 15 को राम सोरवी के जमीनी द्वारा मोकिया
 रूप को सोरवी में पानी की टंकी का निर्माण होने की शिकायत
 करने पर श्री चन्द्रपाल सा. वनपाल नाका मैथवा, श्री मन्मथ कलाल, श्री
 श्री नन्दन शर्मा - मोका द्वार मोकिया पर पहुँचे 6 के द्वार द्वारा शर्मा में
 एक सिमन्टेड पाई का निर्माण कर के रखा गया पाया। हमारे द्वार
 मोकिया पर ही टंकी निर्माण करने वाले 6 के द्वार को वनभूमि में
 टंकी का निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाखण्ड किया गया एवं मोकिया
 पर कार्यरत श्रमिकों को भी वन विभाग की जमीन पर कार्य
 नहीं करने हेतु धाँकीन्द किया गया। मोकिया पर ही कार्य करने वाले
 6 के द्वार एक श्रमिकों द्वारा कार्य बन्द कर दिया गया और मोकिया पर पड़ी
 हुई टंकी निर्माण सामग्री, औजार, इत्यादि भरकर ले गये एवं कार्य पूर्णतः बन्द
 हो गया। मोकिया पर किसी भी प्रकार के देह पाँचे एवं वनस्पति को नुकसान
 गया है। मोकिया पर ही हमारे द्वारा जल दाय विभाग के अधिकारी को
 से दुरभाव पर सफाई किया गया एवं जल दाय विभाग के अधिकारी को
 श्री वनभूमि पर पानी की टंकी का निर्माण नहीं करने हेतु निकटग किया
 गया। जल दाय विभाग के अधिकारी को द्वार दुरभाव पर ही वन विभाग
 कि शर्मा पर टंकी का कार्य विरुद्ध में निर्माण नहीं करने का
 आसवासन दिया गया मोकिया पर टंकी का कार्य पूर्णतः बन्द होने एवं निर्माण
 सामग्री उठाकर ली जाये कि उपरान्त वनभूमि पर कार्य बन्द करवाया गया
 मोकिया पर मोका पंचनामा के द्वार कर के उपस्थित पंचनाम को पढाया मुनाया
 एवं साक्षितमालिन होने पर वन विभाग द्वारा किया गया।

नन्दन शर्मा
 मोकिया
 चन्द्रपाल
 सा. वनपाल

भौतिक-चक्रण

ग्राम सौरवकी के ग्राम वासियों द्वारा दो बारा वन क्षेत्र पर सौरवकी के पहले
 वाला स्थान छोड़ कर अगले दूसरी जगह पर टकी का निर्माण करने वालों को
 कि जिस कार्य करने पर आज दि 20-6-15 को मैं चन्द्रपाल सा. व. न. पाल
 ना. का प्रेषण, श्री म. क. व. न. म. ल. का. का. श्री नन्दन शर्मा जी की द्वार ग्राम वासियों
 द्वारा जो जगह जो दूसरी टकी के प्रस्तावित निर्माण स्थल पर पहुँचे मैंने पर
 किसे भी प्रकार का निर्माण कार्य, निर्माण कार्य होने की शर्तों विधि या स्व
 निर्माण कार्य में उपचार लेने वाली सामग्री नहीं मिली है। उपस्थित ग्रामीणों के
 दरम्यान रूप में मौजूद है उन के समक्ष मौजूद देखा गया। मैंने पर
 प्रिन्सिपल प्रकार का निर्माण कार्य स्व निर्माण करने की शर्तों विधि नहीं
 मिली। अतः यह शिकायत मुझे पर सुनी सिद्ध होती है। अस्तित्व ग्रामियों
 के धर्मों पर हस्तक्षेप करने का निवेदन किया है। उपस्थित ग्रामीणों के
 ग्राम में आपसी विवाद होने का अन्वेषण जसा एक हस्तक्षेप नहीं करने हेतु
 साफ़ बातें में इनकार कर दिया। मैंने पर मैंने प्रेषण ना. व. न. पाल
 सदस्य को पठाया सुनाया एवं प्रिन्सिपल होने पर बनेर साही हस्तक्षेप नहीं

मोहर

नन्दन शर्मा

मोहर
 चन्द्रपाल
 श्री. व. न. पाल
 प्रेषण

विषय: - श्रीमान उपवन लेखक महो
अलवर

विषय: - जलसम विभाग के द्वारा वन विभाग की
श्रमि पर अवैध रूप से पानी की टंकी का
निर्माण करवाने के लिए प्रो.

उपरोक्त: - आपका पत्रांक एम () वी. आर्. जी. /
2015-16 / उपवन / 4943 दिनांक 9-6-15
के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्वये प्रांतीय पत्र के मध्य में
निर्माण के लिए वन क्षेत्र प्राण लोभ्यता, कठुआ में जलसम विभाग
द्वारा पानी की टंकी का निर्माण पहाड़ों पर के आसपास
किये जाने की शिकायत की गई है। इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई
का निवारण विभाग द्वारा श्रीमान की दि. लेखन सूचनाओं
द्वारा है।

(1) उपर शिकायत के सम्बन्ध में दिनांक 11-6-15 को मौके
पर डी. आर. द्वारा शक्ति में एक कॉपी का निर्माण आदेश
जुमा गया। मौके पर ही डी. आर. को वन शक्ति पर टंकी निर्माण
का निर्माण करने हेतु आवश्यक विभागात्मक एवं शक्ति पर कार्य हेतु
कार्रवाई को भी वन विभाग की शक्ति पर कार्य करने हेतु
आवश्यक विभागात्मक। तब मौके पर ही डी. आर. द्वारा शक्ति वन
कार विभागात्मक तथा मौके पर पूरी निर्माण लोभ्यता, आसपास
शक्ति पर ही डी. आर. का कार्य एवं कार्य पूर्णता का
होगा। मौके पर किसी प्रकार का पहाड़ व पहाड़ों में
कार्रवाई है। जलसम विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही
आदेश दिया लम्बे काले वन विभाग की शक्ति पर
टंकी निर्माण नहीं करने हेतु निर्देश दिया गया। जलसम
विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर ही आदेश पर वन विभाग
की लोभ्यता पर टंकी का निर्माण नहीं करने को आदेशित
दिया गया। कार्य पूर्णता एवं ही पर पंथना मौके
पर लोभ्यता तथा जो लोभ्यता है (11-6-15)

(2) राम लोभ्यता में पहले वाले लोभ्यता को ही डी. आर. द्वारा
आदेश पर टंकी बनाने की शिकायत राम लोभ्यता द्वारा
की गई। इस सम्बन्ध में राम लोभ्यता द्वारा लोभ्यता तथा
लोभ्यता पर दिनांक 20-6-15 को आदेशित (द्वारा 32)

कमरे में लना का सुझावना किया गया। पत्रों
 को देकर सिरी ग्री कुलार का रेकी निगम का बन्द
 कर नही होना पता गया। अतः अन्तिम बार की री शिवालय
 मूली का बन्द हुई थी। मिला मोला पत्रनामा बनाया
 गया जो पत्र के मात लेलन कर सूचना के उचित है।
 लेलन मोला पत्रनामा 20-6-15।

(3) आज दिनांक 2-7-15 को अधीनस्थारकी देश
 अचिन्तन लाल के साथ अम सोरणी की वन भूमि पर
 अवेध रूप से रेकी निगम की शिवालय का मोला
 निगमना किया गया। मोदी पर सिरी ग्री कुलार का
 निगम करि-अन्त नही मिला होएंगे करि पुरीना कय
 ही दिनांक 11-6-15 को कय करी के कय करि आज
 दिनांक रक यो वना नही हुआ है एवं पुरीना कय है।

अतः रिपोर्ट सूचना के एवं आवश्यक करि पंजी
 हेतु लापर उचित है।

लेलन:

(1) मोला पत्रनामा
 11-6-15

(2) मोला पत्रनामा
 20-6-15

राजीव

राम

(राजधन मोला)

क्षेत्रीय वन अधिकारी

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज0

कार्यालय कन्याल बाबा, गैरागा

क.सं.क. ३.पी.ई

दि.

विभाग - श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी

लखनऊ ६

विषय :- ग्राम सौरवरी में नतीन टकी निर्माण पर्याप्त वन भूखे

महोदय

उपरोक्त विषय अर्थात् निर्माण हेतु आपकी

गोपनीय आदेश अ.क्र. ५७५४ ग्राम सौरवरी में नतीन टकी निर्माण

पर्याप्त वन भूखे का मैं का पत्र नाम वगैरै न कदाही देकर
कर श्रीमान जी की सेवा में धन्य है

—महोदय

—कन्याल

कन्याल

गैरागा

कामोच्च अश्रीधर वन अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

दिनांक :-

659

दिनांक :- 9-7-15

निर्देश :- श्रीमान उष वन निरीक्षण प्रसि 0
अलवर

विषय :- ग्राम शारवरी में पगडी वट वृक्ष निर्दिष्ट
100 विघा लीटर क्षमता के पान नली
लेनाग्रम क्षमता 935 विघा लीटर क्षमता
के नली वट वृक्ष।

उपरोक्त नली वट वृक्ष निर्दिष्ट दिनांक 4-7-15
के अंतर्गत है।

प्रति,
श्रीमान

उपरोक्त विषयवस्तु निर्दिष्ट है कि ग्राम
शारवरी में दिनांक 4-7-15 के अंतर्गत अलवर
कामोच्च अश्रीधर वन अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (अलवर)
निर्देश क्रमांक 1101 दिनांक 01-7-15 की
वृक्ष के उम्र धे गये निर्दिष्टों के पान नली वट वृक्ष को
श्रीमान उष वन निरीक्षण प्रसि की 4-7-15 के अंतर्गत
एवं आंकषक कामोच्च अश्रीधर वन अधिकारी हैं।

उपरोक्त वृक्ष पर निर्दिष्टों के उम्र के 4-7-15
एवं वनस्पति वृक्षों को लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में
आरक्षित है।

निर्देश :-
(1) श्रीमान उष वन निरीक्षण प्रसि
(2) नजी वन निरीक्षण प्रसि
(3) PHED लक्ष्मणगढ़ का
पत्रांक 1101
01-7-15

कामोच्च

व/म

(राजधन प्रीत)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज 0

आज दिनांक 6.7.15 को हमारे ही चन्द्रपाल सा वनपाल
 नाका मंचना श्री लक्ष्मण लाल के गौका मंचना श्री लक्ष्मण लाल
 की इस नाका मंचना रूप श्री राम सहाय की रर । जलदायक गांग
 लक्ष्मण लाल साव लेकर श्रीमान उपवन सारहाक अलवर रूप श्रीमान
 क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मण लाल के गौका मंचना आदेश अनुसार काम
 मोगरी की वन भूमि पर पुस्तकित भूमि की रकी निर्माण स्वाम
 औ पुस्तकी 35 वर्ष पहले पुरानी रकी वनी हुई के पास ही का गौका
 गु आयना किया जाकर देखा गया कि गौके पर पुस्तकित स्वाम
 गता ली गौका पहाड़ी पर है जो वन भूमि मोगरी में आ रहा है
 गौके पर पुस्तकित स्वाम पर किसी भी प्रकार के लेड पोस्ट
 रूप वन सम्पत्ति नहीं है । जगह गता ली है गौके पर मंचनामा
 बनाया जाकर उपलब्ध मंचनामा पहाया मुजाया गया व
 साई तस्वीर लेने पर वन भूमि सादी हस्ताक्षरित राजीव ।

श्रीमान
 लक्ष्मण
 P.H.E.D. लक्ष्मण

मंचना
 चन्द्रपाल

श्रीमान
 चन्द्रपाल
 नि. वनपाल
 मंचना

C.S.
 श्री
 (राजधन मंचना)
 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 लक्ष्मणगढ (अलवर) राज0




समय: 11 A.M

दि. 6.9.15

स्थान: धुलाबित्त नदी किनारी

दि. 2 की वन भूमि क्षेत्र



संकेत:

- 1. मुख्य रोड ==
- 2. कच्चा शाफ्ट)
- 3. पुरानी टंकी धुलाबित्त
मानी की टंकी -
- 4. शिव जी का मन्दिर
- 5. महाड :-

राज्य
पिंडर
PHED

नदन (अ.स.म.)
चौकीदार

मवादिप
चन्देवपाले
मि. नवपाल
सुबान

मन्त्रालय
राज्य

C.S.
(राजपुत्र रीत)
संश्लेषक वन अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज.0